न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 12/2017

अपीलांट

1. दिलीपसिंह पुत्र स्वर्गीय बृजराजसिंहजी
2. मनीष कुमार पुत्र स्वर्गीय बृजराजसिंहजी आयु अवयस्क नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मदनकुंवर बेवा स्वर्गीय बृजराजसिंह
3. मदनकुंवर बेवा स्वर्गीय बृजराजसिंह
4. प्रलादसिंह पुत्र सूरजदानजी
5. परबतदान पुत्र सूरजदानजी
6. राजेन्द्रसिंह पुत्र सूरजदानजी सर्वजातियान चारण सर्वनिवासीयान पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र सावंलदानजी जाति चारण निवास पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री प्रमोद कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पिण्डवाडा द्वारा बमुकदमा संख्या 2140/2016 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांटगण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 115 से 10 फीटकी दूरी पर अपीलांटगण द्वारा खोदे गये बोरवेल का उपयोग उपभोग न करने एवं न ही अपने किसी मित्र रिश्तेदार या अन्य के मार्फत करवाने एवं उक्त बोरवेल को बंद किये जाने का अनुतोष चाहा। जिस अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। खसरा नंबर 115 में स्थित कुआ अपीलांट के पिता द्वारा ही पक्का करवाया गया है एवं अन्य सहखातेदारो ने कुंऐ में पैसे डालने से मना कर दिया था। किनतु उक्त कुंऐ में पानी नहीं होने से उसके पास वर्ष 2009 में बोर खुदवाया था। उक्त बोर से अपीलांट की भूमि सिंचित होती है। तथा अपीलांट गांव के सार्वजनिक टांके में धर्मार्थ मुफत पानी भरते है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत शिकायते कर अपीलांट की खातेदारी भूमि में वर्ष 2009 में खुदवाये बोर को वर्तमान में वर्ष 2016 में खुदवाया बोर बताकर बंद करवाने हेतु वाद पेश किया है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट ने अपने वाद में समस्त खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को ध्यान में न रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांटगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 115 से 10 फीट की दूरी पर अपीलांटगण द्वारा खोदे गये बोरवेल का उपयोग उपभोग न करने एवं न ही अपने किसी मित्र रिश्तेदार या अन्य के मार्फत करवाने एवं उक्त बोरवेल को बंद किये जाने का अनुतोष चाहा। जिस अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांटगण सामलाती कृषि आराजी के अन्य खातेदारान की बिना सहमति दिनांक 16.11.2016 को खसरा नंबर 115 में स्थित सामलाती कृषि कुंआ के पास महज 10 फीट दुरी पर एक ही बोरींग करीब 300 फीट गहरा खुदवाया है। माननीय राजस्थान सरकार ने एरिया डार्कजोन घोषित करते वर्ष 2011 के पश्चात बिना परमिशन बोरवल खुदवाने के लिये पूर्णत प्रतिबंधित किया है। उक्त बोरवेल के कारण खसरा नंबर 115 में स्थित कुंऐ का जलस्तर गिरने से समस्त खातेदारान को भारी समस्या का सामना करना पडेगा। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पिंडवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब में वादग्रस्त आराजी पर खोदा गया ट्यूबवेल वर्तमान में बंद होना बताया है तथा बिजला कनेक्शन भी विच्छेद करना पाया गया। का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांटगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 115 से 10 फीट की दूरी पर अपीलांटगण द्वारा खोदे गये बोरवेल का उपयोग उपभोग न करने एवं न ही अपने किसी मित्र रिश्तेदार या अन्य के मार्फत करवाने एवं उक्त बोरवेल को बंद किये जाने का अनुतोष चाहा। जिस अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार पिंडवाडा को प्रेषित रिपोर्ट में यह अंकन है कि बोरिंग बिना इजाजत खोदना पाया गया एवं उपस्थित मौतबिरान ने भी बोरिंग दिनांक 16.01.2016 को खोदा जाना बताया है। परन्तु वर्तमान में मौके पर दिनांक 31.01.2017 को पटवारी हल्का की जांच में बोरिंग से कनेक्शन काटा हुआ पाया गया है व सिंचाई नही करना पाया गया है।" जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने बोरिंग को सन 2009 में खोदना बताया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट हाजा न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। हस्तगत प्रकरण में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति रेस्पोडेन्ट के पक्ष में प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पिंडवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब को ध्यान मे रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर पिण्डवाडा द्वारा बमुकदमा संख्या 2140/2016 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक05.08.2019को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली